(168)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा म.प्र.

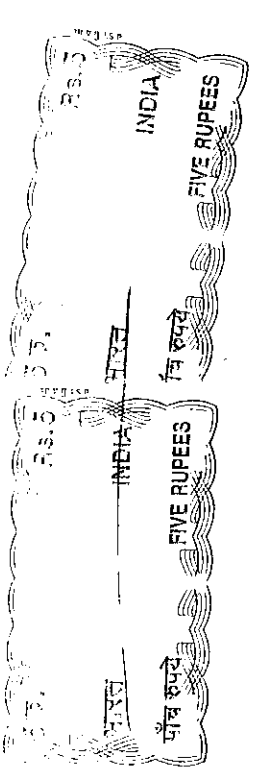

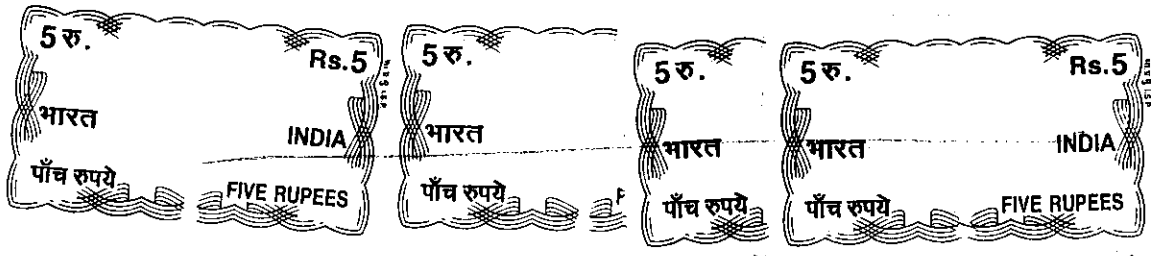

रामनरेश तिवारी पिता स्व.श्री रामायण प्रसाद तिवारी एवं अन्य...निगराकारगण

R 5111-II/17

बनाम

01.जमुना प्रसाद तिवारी पिता शम्भू प्रसाद

02. सौखीलाल तिवारी पिता शम्भू प्रसाद..............................गैरनिगराकारगण

03 रा.नि.वृत्त ...

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.सं. 1959

निगरानी बिरूद्ध न्यायालय श्रीमान् रा.नि.वृ. बिरसिंहपुर तह. बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र. के रा.प्र.क.–18अ12/12–13 आदेश दिनांक 07.05.13

प्रस्तुत श्री आर.एल. त्रिपाठी द्वारा वकील 20-3-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

प्रार्थी/निगराकारगण, निगरानी प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निम्न लिखित बिनय करते है:–'

निगरानी के तथ्य

01. यह कि संक्षेप मे निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगराकारगण द्वारा सीमांकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 129म.प्र.भू.रा.सं. के तहत आ.नं. 520,521 मौजा कलवलिया तह. बिरसिंहपुर की आराजियात के सीमांकन वावत श्रीमान् राजस्व निरीक्षक वृत्त बिरसिंहपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये थे जिस पर गैरनिगराकारगण प्रभावशील व पैसे के दम पर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त बिरसिंहपुर को अपने प्रभाव मे लेकर घर बैठ व बिना सरहददी व्यक्तियो को सूचना व जानकारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5111–दो/17 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एल0 त्रिपाठी द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त बिरसिंहपुर तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना के प्रकरण कमांक 18/अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 07.5.13 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई, निगरानी के साथ आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 3 वर्ष 9 माह के अधिक से विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सकें, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	